राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 862/2011/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 863/2011/भीलवाड़ा.

मैसर्स ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
हमीरगढ़, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष–वृत, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा. ....प्रत्यर्थीगण.

3. अपील संख्या – 1172/2014/भीलवाड़ा.
4. अपील संख्या – 1173/2014/भीलवाड़ा.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
हमीरगढ़, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.
श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.03.2018

निर्णय

1. अपील संख्या 862/2011/भीलवाड़ा व 863/2011/भीलवाड़ा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 1172/2014/भीलवाड़ा व 1173/2014/भीलवाड़ा विभाग द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2007–08 की अवधि के लिये पारित अपीलीय आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें राजस्व द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे। दूसरी ओर वर्ष 2007–08 के वार्षिक कर निर्धारण आदेशों में पुनः आई.टी.सी का लाभ नहीं दिये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा भी अपीलें प्रस्तुत की गई है।

2. समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवाद का बिन्दु समान निहित होने से उक्त अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

07/03/18

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

* उपरोक्त चारों अपीलें वर्ष 2007–08 की अवधि के लिये किये गये कर निर्धारण आदेशों से संबंधित है, जिसमें राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों में इस वर्ष के त्रैमासिक कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध पारित अपीलीय आदेशों को एवं व्यवहारी की ओर से वार्षिक कर निर्धारण आदशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों में पारित आदेशों में किये गये निर्णय के विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गई है। इन चारों अपीलों में एक ही अवधि एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण संयुक्त आदेश से किया जा रहा है।

* इन प्रकरणों में वर्ष 2007–08 में राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिये वैट अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम के तहत की गई बिक्री, व्यवहारी के लिये कर मुक्त होने के आधार पर, व्यवहारी को आगत कर का लाभ अधिनियम की धारा 18 के तहत नहीं दिया गया था, जिसमें वर्ष 2007–08 के त्रैमासिक कर निर्धारण आदेशों में आई.टी.सी का लाभ नहीं देने पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः आदेश हेतु प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गई है एवं बाद में उसी अवधि के लिये पूरे वर्ष के लिये अंतिम कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था उसमें भी आई.टी.सी का लाभ नहीं दिया गया था, उसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील में आई.टी.सी का लाभ नहीं देने का निर्णय होने से व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।

* प्रकरण में विधिक विवाद का बिन्दु यह था कि व्यवहारी कम्पनी ए.सी. प्रेशर पाइप व ए.सी. शीट का निर्माता है एवं राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F12FD/TAX/2007/136 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार अधिसूचना की शर्तों के अधीन राज्य में एसी शीट का निर्माण करने से इसकी बिक्री पर कर से मुक्ति प्रदान की गई थी। इस अधिसूचना की शर्त अनुसार यह कर मुक्ति केवल उन व्यवसाइयों की बिक्री पर दी गई थी, जो एसी पाइप के निर्माण के समय कच्चे माल के रुप में 25 प्रतिशत Fly Ash का प्रयोग करते है।

07/03/18

लगातार.....3

* कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि चूंकि व्यवसायी की बिक्री को कर जमा कराने से मुक्त किया गया है अतः अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार निर्मित माल करमुक्त होने से कच्चे माल पर आगत कर का मुजरा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं है, जबकि व्यवसायी का यह तर्क था कि उनके द्वारा बिक्री की जाने वाला माल करमुक्त नहीं है बल्कि यह माल करयोग्य माल है एवं व्यवहारी को अधिसूचना की शर्तो अनुसार डीलर के रुप में कर देने से मुक्ति दी गई है जबकि इसी माल पर अन्य व्यवसाइयों को, जो अधिसूचना की शर्तों के अधीन निर्माण नहीं करते थे उन्हें करमुक्ति प्रदान नहीं थी। इस तरह उनका निर्मित माल कर योग्य होने से उन्हें आई.टी.सी. का लाभ विधिनुसार देय है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

5. प्रकरण में व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने हमारे समक्ष इसी बिन्दु पर अपीलार्थी के पक्ष में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय SB CIVIL VAT REVISON PETITION NO. 7/2012 18/2012 & ORS. दिनांक 19.12.2013 की प्रति पेश की जिसमें उक्त व्यवहारी के पक्ष में यह निर्णय दिया गया है कि उक्त व्यवहारी द्वारा निर्मित माल, करमुक्त माल नहीं है बल्कि वे करयोग्य माल का निर्माण करते है परन्तु उन्हें अधिसूचना के तहत विशेष शर्तों के अधीन निर्माता व्यवहारी के रुप में अपने विक्रयों पर कर से मुक्ति प्रदान की है। अतः व्यवसायी को अधिनियम की धारा 18(1)(e) के तहत आई.टी.सी के लाभ की पात्रता है।

6. विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में राजस्व की ओर से प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका पर दिये गये निर्णय की प्रति वैट रिपोर्टर 2015 वोल्यूम 24 पेज 197 भी पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाकर यह अवधारित कर दिया गया है कि व्यवहारी का बिकित माल करमुक्त नहीं है बल्कि व्यवहारी को बिक्री पर कर–मुक्ति का विशिष्ट लाभ दिया गया है। अतः उन्हें धारा 18(1)(e) के तहत आई.टी.सी का लाभ देय होगा।

07/03/18

लगातार.....4

7. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों निर्णयों से राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सहमति प्रदान की। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1074, 1315, 1316 / 2013 / भीलवाड़ा, में इसी अपीलार्थी, ए.इन्फ्रास्क्चर लि. बनाम वा.क.अ. निर्णय दिनांक 20.02.2015 में वर्ष 2008–09, 2010–11 व 2011–12 की व्यवहारी की अपीलों को स्वीकार कर आई.टी.सी का मुजरा देने का आदेश दिया जा चुका है।

उक्त विवेचन अनुसार व्यवहारी की अपीलों को स्वीकार कर समस्त कर निर्धारण आदेशों में आई.टी.सी का लाभ दिये जाने के आदेश दिये जाते है।

फलतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

07/03/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य